

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं. :- 13/2025

तारीख रजु :- 02.07.2025

पीठारीन अधिकारी :- पूजा मीना आर.ए.एस.

तुलसीराम पुत्र जौहरी उम 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी झूंगापुरा तहसील बालघाट,
जिला करौली (राज०)

अपीलांटस

बनाम

- | | | |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. गोपाल 2. जीतेन्द्र 3. देवेन्द्र 4. नरेन्द्र 5. राघोराम 6. राधेश्याम | } | <p>पिसराम तुलसीराम समस्त जाति गुर्जर
निवासी झूंगापुरा तहसील बालघाट
जिला करौली (राज०)</p> |
| <p>7. ग्राम पंचायत मोरडा पंचायत समिति टोडाभीम, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत
मोरडा पंचायत समिति टोडाभीम, जिला करौली (राज०)</p> | | |

रेस्पोजेन्टस

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 17.06.2025

ग्राम पंचायत मोरडा ग्राम झूंगापुरा तहसील बालघाट

- उपरिथत :-
- 1 अभिभाषक अपीलांटस :- हंसराम गुर्जर एडवोकेट
 - 2 अभिभाषक रेस्पोजेन्टस :- गौरीशंकर गुर्जर एडवोकेट

निर्णय

दिनांक- 25/08/25

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक
17.06.2025 बावत् नामान्तकरण संख्या 167 ग्राम पंचायत मोरडा खिलाफ कानून व



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। हाल खसरा नम्बर 1005/0.40, 1021/0.22, 1028/0.02, 1031/0.10, 1046/1/0.15, 1057/0.36, 1079/5250/0.04, 1098/5335/0.22, 1134/1/0.06, 1135/1/0.02, 1136/1/0.07, 1170/1079/0.07, 1171/1134/0.03, 1172/1135/0.07, 1223/5070/0.02, 3744/1/0.14, 3957/0.16, 3974/1/0.39, 3975/0.17, 3976/1/0.24, 3977/1/0.16, 598/0.45, 639/0.59, 674/0.52, 927/0.86, 942/0.29, 983/0.16, 997/0.42, कुल कित्ता 28 कुल रकवा 6.40 है0 ग्राम डूंगापुरा तहसील बालघाट जिला करौली (राज0) में है। उक्त भूमि में अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा जीवित है। परन्तु अपीलान्ट की उक्त भूमि का ईमित्र वाले की गलती से भूलवश विरासत नामान्तकरण भर दिया गया जो पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत मोरडा द्वारा ऑटो फॉवर्ड मोड पर स्वीकृत हो गया है जो अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है।

दिनांक 26.06.2025 को अपीलान्ट के.सी.सी. की फाईल बनवाने के लिये ईमित्र की दुकान पर जमाबन्दी निकलवाने गया, जमाबन्दी निकलवाने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई इसलिये नामान्तकरण की नकल लेकर अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। अपीलान्ट जीवित है तथा कानूनन जावित आदमी का विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है इस बिना पर भी अपीलान्ट नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टर स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 17.06.2025 ग्राम पंचायत मोरडा तहसील बालघाट निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार बालघाट को आदेश फरमाया जावे कि राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति कायम की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्टस को जरिए सम्मन तलब किया गया रेस्पोजेन्स नं0 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोजेन्ट अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पेश किया। राजीनामा में अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाते हुये नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 17.06.2025 ग्राम पंचायत मोरडा ग्राम डूंगापुरा को खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

मैंने अपीलान्टस की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अतः मुताबिक राजीनामा एवं




Ri
उपाखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोंडाभीम, जिला-करौली

दस्तावेजों के अनुसार अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाती है। सभी पक्षकारों ने सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। ग्राम डूंगापुरा का नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 17.06.2025 ग्राम पंचायत मोरडा तहसील बालघाट निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार बालघाट को राजस्व रिकार्ड में उक्त नामान्तकरण से पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 25/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




(पूजा मीना)

उपखण्ड न्यायाधीश एवं सहायक न्यायाधीश कलक्टर
डा० श्रीमती गिजिता कौरौली